आरोप

कमीशन नहीं तो पेमेंट नहीं

बालाघाट पीडब्ल्यूडी भवन विभाग में ठेकेदारों का फूटा गुस्सा

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट में सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने पीडब्ल्यूडी भवन शाखा के कार्यपालन यंत्री के.के. सिंगारे पर कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने प्रेसवार्ता कर चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे काम बंद कर आंदोलन करेंगे। हालांकि, कार्यपालन यंत्री सिंगारे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वरिष्ठ स्तर पर राशि की स्वीकृति मिलते ही लंबित भुगतान कर दिया जाएगा।

यह पूरा मामला दो निर्माण कार्यों से जुड़ा है: परसवाड़ा के चंदना में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र भवन और पिपरझरी के हाईस्कूल निर्माण का। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बंटी गोस्वामी ने बताया कि उन्हें लगातार कार्यपालन यंत्री के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं कि वे ठेकेदारों को अनुचित रूप से परेशान कर रहे हैं। उन पर दबाव बनाकर अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है और राशि न देने पर टेंडर रद्द करने या ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जाती है।

एसोसिएशन के सचिव युनुस पप्पा खान ने चंदना स्वास्थ्य केंद्र भवन का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि ठेकेदार छोटूलाल ठाकरे ने विभाग के निर्देश पर अनुबंध राशि से अधिक कार्य किया था। माप पुस्तिका और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, कथित तौर पर भुगतान के बदले एक लाख रुपये कमीशन मांगा गया। विरोध करने पर लगभग 10 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया गया।

इस मामले की शिकायत प्रमुख सचिव और विभागीय अधिकारियों से की गई थी। इसके बाद कथित तौर पर कार्यपालन यंत्री और संबंधित एसडीओ को आरोप पत्र भी जारी किया गया है। इसी तरह, रेलवे पिपरझरी में निर्माणाधीन हाईस्कूल भवन के मामले में गुणवत्ता जांच टीम ने कार्य पर संतोष व्यक्त किया था और केवल मामूली सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, आरोप है कि एसडीओ के माध्यम से जांच टीम के नाम पर राशि मांगी गई।

एसोसिएशन का आरोप है कि राशि नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया गया और लगभग 15 लाख रुपये का भुगतान रोक लिया गया। एसोसिएशन ने इसे शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग बताया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सुपरवाइजर दामेंद्र मन्दरेले व प्रगणक दिलीप नगपुरे को मिला प्रशस्ति पत्र

नवभारत, खैरलाँजी। जनगणना-2027 के अंतर्गत खैरलांजी क्षेत्र में मकान सूचीकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में चार्ज अधिकारी खैरलांजी तीरथप्रसाद अक्षरीया एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी कार्तिकेय जायसवाल के समस्त चार्ज एचएलबी क्षेत्र में जनगणना दल द्वारा 07 मई को मकान सूचीकरण का कार्य संपादित किया गया। इस दौरान मकानों एवं परिवारों से संबंधित आवश्यक जानकारियों का संग्रहण कर अभिलेखों का अद्यतन किया गया। खैरलांजी के जनगणना प्रभारी और टेक्निकल मार्गदर्शक दिनेश तुरकर, आशीष ठाकरे, सुधीर चौहान के निर्देशन में यह कार्य किया गया। मकान सूचीकरण कार्य में सुपरवाइजर सर्कल 0022, दामेंद्र मन्दरेले तथा प्रगणक दिलीप कुमार नगपुरे ने सक्रिय सहभागिता निभाई। टीम द्वारा घर-घर पहुंचकर निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार जानकारी एकत्रित की गई। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में निवासरत परिवारों, आवासीय स्थिति एवं अन्य मूलभूत जानकारियों का संकलन किया जाता है। यह जानकारी भविष्य में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों की योजना बनाने में उपयोगी सिद्ध होती है। जनगणना दल ने आमजन से अपील की है कि वे मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणकों को सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कार्य में सहयोग करें। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सूचीकरण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।

कार्य पूर्ण करने पर मिला प्रशस्ति पत्र

भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 मकानसूचीकरण का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक किया जाना है जिसमें खैरलाँजी तहसील अंतर्गत बनाए गए। एचएलबी में प्रगणक सुपरवाइजर को नियुक्त किया गया। इसी कड़ी में भौरगढ़ के एचएलबी क्रमांक 0122 के प्रगणक दिलीप कुमार नगपुरे द्वारा अपनी एचएलबी के 267 जनगणना मकानों की गणना पूरी की गई। उनके द्वारा सुपरवाइजर दामेंद्र मन्दरेले के मार्गदर्शन में तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व सुपरवाइजर, प्रगणक द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी कार्तिकेय जायसवाल (आईएएस) एवं चार्ज अधिकारी (जनगणना) खैरलाँजी तीरथ प्रसाद अक्षरिया द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया ।

नगर पालिका बालाघाट एवं वारासिवनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन

बालाघाट। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत आज 09 मई को नगर पालिका परिषद बालाघाट एवं नगर पालिका वारासिवनी में कर संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान संपत्तिकर, भवन-भूमि किराया एवं जलकर से संबंधित मामलों का निराकरण कर राजस्व वसूली की गई। नगर पालिका परिषद बालाघाट में प्रातः 10:30 बजे आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, भवन-भूमि किराया एवं जलकर से संबंधित कुल 774 प्रकरण रखे गए थे। इनमें संपत्तिकर के 172 तथा जलकर के 160 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से कुल 9 लाख 79 हजार 304 रुपये की राशि वसूल की गई।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पुरातत्व संग्रहालय में मनाई गई

नवभारत, बालाघाट। इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय बालाघाट परिसर में इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय बालाघाट तथा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ भारत, शाखा- बालाघाट (महिला-पुरुष ग्रुप) के संयुक्त तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की 486 वीं जयंती दिनांक 9 मई 2026 [दिनांक 9 मई 1540 अनुसार] सायं 4 बजे डॉ.कुलदीप बिल्थरे, सेवानिवृत्त उपवन क्षेत्र पाल के मुख्य आतिथ्य तथा डॉ.वीरेन्द्र सिंह गहरवार संग्रहाध्यक्ष इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ भारत की अध्यक्षता में मनाया गया। उपस्थित सभी ने तेल चित्र पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर नमन किया। उक्त अवसर पर डॉ.कुलदीप बिल्थरे ने अपने उद्बोधन में कहा नगर का एक मात्र इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय है, जहाँ सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती है, डॉ.वीरेन्द्र सिंह गहरवार संग्रहाध्यक्ष के अथक प्रयासों से ही नगर के हृदय स्थल सराफा चौक पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की विशालतम रुप में प्रतिमा स्थापित हुई है। डॉ.बिल्थरे ने पुनः आगे जीवन प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा महाराणा प्रताप का शरीर ब्रज जैसा था, मुगल बादशाह अकबर और उनके सैनिकों को परास्त किया, वे अंतिम समय तक झूके नहीं और घास की रोटी खा कर जीवन यापन करते रहे, ऐसे महापुरुष को नमन है। डॉ.वीरेन्द्र सिंह गहरवार ने कहा देश में महान वीरों ने अवतरित होकर इतिहास बनाया है, भावी पीढ़ियों को इनके योगदानों को याद करना चाहिए। उक्त अवसर पर श्याम सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ भारत, शाखा-बालाघाट, डॉ.कविता गहरवार, अध्यक्ष, इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान बालाघाट, राजेन्द्र कुमार ब्रम्हे, सतीश भारद्वाज, दिनेश कुमार नेमा, कार्यक्रम व्यवस्था प्रभारी, शाहिल सोनगडे; बलिनन्दर चौहान, रजत मरठे एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ भारत, शाखा-बालाघाट, जे.एस.टी. महाविद्यालय, कमला नेहरु महिला महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं आदि उपस्थित होकर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

द्वितीय नेशनल लोक अदालत में 61 प्रकरणों का निपटारा

- 56 लोग हुए लाभान्वित, 1.09 करोड़ से अधिक की राशि में हुआ राजीनामा

नवभारत कटंगी 9 मई। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्राणेश कुमार प्राण एवं सचिव सतीश शर्मा के निर्देशन में 9 मई शनिवार को वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

शुभारंभ कार्यक्रम 10:30 बजे खंडपीठ क्र. 15 की पीठासीन अधिकारी शबाना खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति कटंगी द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इन प्रकरणों का हुआ निराकरण

आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 61 प्रकरणों का निराकरण कर 56 लोग लाभान्वित हुए। न्यायालय में लंबित 15 आपराधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 40 लोग लाभान्वित हुए। 3 लंबित पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण, चेक बाउंस के 5 प्रकरणों का 80,00,000 की राशि में राजीनामा, बैंक वसूली के 9 प्रकरणों का निराकरण, नगर परिषद जलकर के 15 प्रकरणों का निराकरण एवं संपत्ति कर के 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

पौधे वितरित कर दिया पर्यावरण का संदेश

लोक अदालत में राजीनामा करने वाले पक्षकारों को पीठासीन अधिकारी शबाना खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष अधिवक्ता संघ केएस पटले, आनंद टेंभरे, टोपेश ठाकरे, संजय खोब्रागडे, राजकुमार नंदागौरी, जितेन्द्र ठाकुर, हिमांशु मोर, लकेश गौतम, दिनेश मिश्रा एवं समस्त अधिवक्ता सहित न्यायिक कर्मचारी एवं समस्त पक्षकार उपस्थित थे।

कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैसा पुर्नस्थापना कार्यक्रम का द्वितीय चरण सफल

नवभारत, बैहर। मध्यप्रदेश में विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसा प्रजाति के पुनर्स्थापना अभियान के अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपखार परिक्षेत्र में आज 09 मई को चार जंगली भैंसों के दल को विशेष रूप से निर्मित बाड़े में सुरक्षित रूप से मुक्त किया गया।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीमती समिता राजोरा एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री एल. कृष्णमूर्ति ने जंगली भैंसों को बाड़े में निर्मुक्त किया। कार्यक्रम में क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व श्री रविंद्र मणि त्रिपाठी, उप संचालक (कोर) श्री प्रकाश वर्मा, उप संचालक बफर सुश्री अमिथा के.बी., समस्त सहायक संचालक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं स्थानीय वन अमला उपस्थित रहा।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों से जंगली भैंसा लगभग 150 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा जंगली भैंसा पुनर्स्थापना की विशेष योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपखार क्षेत्र में, जहां पूर्व में जंगली भैंसों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व से जंगली भैंसों को लाकर पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

परियोजना के प्रथम चरण में 28 अप्रैल 2026 को चार जंगली भैंसों को सुपखार स्थित बाड़े में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव द्वारा मुक्त किया गया था। द्वितीय चरण में चार और जंगली भैंसों के सफल आगमन के साथ अब तक कुल 8 जंगली भैंसे पुनर्स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 2 नर एवं 6 मादा शामिल हैं। वन विभाग ने आगामी तीन वर्षों में कुल 50 जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

काजीरंगा टाइगर रिजर्व से कान्हा टाइगर रिजर्व तक लगभग 2220 किलोमीटर की दूरी विशेष वन्यजीव परिवहन वाहनों से सड़क मार्ग द्वारा तय की गई। इस दौरान दो वन्यजीव चिकित्सकों की टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य परीक्षण एवं निगरानी की गई। साथ ही एक सहायक संचालक एवं एक परिक्षेत्र अधिकारी ने पूरे अभियान का नेतृत्व किया। लगभग 72 घंटे की सतत यात्रा के बाद जंगली भैंसों को सुरक्षित रूप से कान्हा पहुंचाया गया।

यह पुनर्स्थापना कार्यक्रम मध्यप्रदेश में जैव विविधता संरक्षण एवं विलुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के पुनर्वास की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

बावनथडी नदी पर माफिया का कब्जा, चन्दन नदी में भी रेत माफिया सक्रिय

- दिन-रात डम्पर और ट्रैक्टर से हो रहा रेत का अवैध परिवहन, प्रशासन की चुप्पी से बढ़ा हौसला

नवभारत कटंगी 9 मई। कटंगी क्षेत्र की जीवनदायिनी चंदन नदी और बावनथडी नदी इन दिनों संगठित अवैध खनन के गंभीर संकट से जूझ रही है। लगातार आ रही खबरों और स्थानीय शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक निष्क्रियता ने रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ा दिए हैं कि यह अवैध कारोबार दिन-रात खुलेआम संचालित होने लगा है। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां और डम्परों से रेत का परिवहन खुले आम जारी है। अंधाधुंध खनन से चंदन नदी और बावनथडी नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है।

कई स्थानों पर 10-10 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए

कई स्थानों पर 10-10 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है। नदी किनारे स्थित किसानों की जमीन धंसने लगी है, खेतों में कटाव बढ़ रहा है और जलस्तर लगातार गिर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन का विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं।

प्रतिदिन 200 से 300 ट्रॉली रेत का अवैध उत्खनन

जानकारी अनुसार चन्दन नदी के बाहकल, कलगांव, अतरी, चिजगांव सहित कई अस्वीकृत घाटों से प्रतिदिन 200 से 300 ट्रॉली रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। बिना रॉयल्टी की रेत खुलेआम 3000 से 3500 रुपए प्रति ट्रॉली के हिसाब से बेची जा रही है। इसी तरह तिरोड़ी तहसील के बावनथड़ी नदी में पुलपुट्टा, बोनकट्टा, हरदोली, बम्हनी, आंजनबिहरी, कोडबी, मासुलखापा, बड़पानी, संग्रामपुर, खरपड़िया नाला, हीरापुर नाला क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है।

प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में

अखबारों में लगातार प्रकाशित हो रही खबरों और शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई नगण्य बनी हुई है और प्रति दिन शासन की शासकीय सम्पत्ति को लुटा जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पूर्व 6 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जब्ती की कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी अवैध गतिविधि पर इस तरह की छिटपुट कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।

सरकारी निर्माण में भी अवैध रेत का उपयोग

चौंकाने वाली बात यह है कि क्षेत्र में चल रहे विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों में भी इसी अवैध रूप से निकाली गई रेत के उपयोग के आरोप सामने आए हैं। ठेकेदार बिना रॉयल्टी की रेत का उपयोग कर न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि शासन को भी सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। जागरूक नागरिकों के अनुसार जिले में रेत ठेकेदारों के ठेका सरेंडर करने के बाद रेत माफियाओं का खुला राज चल रहा है।

मिलीभगत से संचालित हो रहा अवैध कारोबार

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा खेल पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की कथित मिलीभगत से संचालित हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि रेत के इस अवैध कारोबार में अब अलग-अलग सिंडिकेट बन चुके हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई में आपस में ही भिड़ने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।